भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 607
07 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के अधिकारों का हनन

607: श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मरीजों के अधिकारों के चार्टर के अनुसार मरीजों का एक अधिकार यह भी है कि यदि किसी मृतक के परिजनों द्वारा अस्पताल का बिल न चुकाया जाए, तो भी मृत शवों को अस्पताल द्वारा बंधक नही बनाया जा सकता, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस अधिकार के बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और
(ग) क्या सरकार के इन प्रयासों से ऐसी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): मरीजों के अधिकारों का चार्टर, नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत वैधानिक निकाय राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद द्वारा अनुमोदित है, और यह वेब पोर्टल: www.clinicalestablishments.gov.in/WriteReadData/3181.pdf पर आम जानकारी के लिए उपलब्ध है। तथाकथित चार्टर के (पैरा x) दिशानिर्देशों के अनुसार, "अस्पतालों द्वारा किसी भी कारणवश मरीज के मृत शव को छोड़े जाने से मना नहीं किया जा सकता है"। उपर्युक्त चार्टर को अंगीकरण और कार्यान्वन हेतु सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को साझा कर दिया गया है, ताकि नैदानिक स्थापनों में सहज और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करते हुए मरीजों की शिकायतों और मुद्दों का निवारण किया जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकार अस्पतालों द्वारा शोषण के मामलों में मृतकों के परिवार की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाती है। रोगी अधिकार चार्टर के प्रावधानों का अंगीकरण, कार्यान्वयन और निगरानी, संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यक्षेत्र में है। इस संबंध में जानकारी केंद्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।
